न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 306/2018

प्रार्थीगण :—		बनाम	अप्रार्थीगण :—
1	हरदानराम पुत्र ईशराराम	1	मोहनलाल पुत्र अन्नाराम
2	दीपाराम पुत्र ईशराराम	2	बंशीलाल पुत्र अन्नाराम
3	बाबुलाल पुत्र ईशराराम	3	वीरा देवी पत्नि अन्नाराम जातियान विश्नोई निवसीगण विश्नोईयों की ढाणी, भाणिया, तहसील सोजत
4	बीरबल पुत्र ईशराराम जातियान विश्नोई निवसीगण विश्नोईयों की ढाणी, भाणिया, तहसील सोजत	4	तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे एवं कुन्दनमल अधिवक्तागण प्रार्थीगण।
2. श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता अप्रार्थीगण ।

—: निर्णय :— दिनाँक — 30.09.2019

वकील मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा भाणिया के खसरा नम्बर 259/3, 259, 259/1, 259/2 की जोत में आने जाने हेतु नया मार्ग आवागमन हेतु खसरा नम्बर 258 रकबा 3.700 हैक्टर की भूमि में से नया रास्ता दिलाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 258 रकबा 3.700 हैक्टर में पिछले 50—60 वर्षों से अधिक समय से दक्षिणी दिशा की तरफ ग्राम लाणेरा से भाणिया जाने वाली मुख्य सड़क से माठ के सहारे सहारे 20 फुट चौड़ा रास्ता कदीम से चला आ रहा है। जो पूर्व में भी अप्रार्थी द्वारा रास्ता बंद करने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रास्ता को खुला करवाया गया था लेकिन रेकर्ड में रास्ता उल्लेखित नहीं होने से प्रार्थीगण को अपने खसरे की भूमि में पहुंचने के लिए भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस आवेदन के जरिये खसरा संख्या 258 रकबा 3.700 हैक्टर में से खसरे की दक्षिणी दिशा की माठ की तरफ आम सड़क से 20 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित है। उक्त विवादित रास्ते को मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया हुआ है जिसे आवश्यक भाग व अंग माना पढा व समझा जावे। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नंबर 259/3 रकबा 1.9200 हैक्टर, खसरा नंबर 259 रकबा 1.9200, खसरा नंबर 259/1 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नंबर 259/2 रकबा 0.9300 हैक्टर में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 258 में से प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में पहुंच का कोई भी विकल्पेन रास्ता नहीं है तथा मुख्य सड़क से निकटतम रास्ता प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण की अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा भाणिया के खसरा नंबर 258 में से होकर 20 फुट चौड़ा प्रार्थी की खसराजात भूमि खसरा नंबर 259/3 रकबा 1.9200 हैक्टर, खसरा नंबर 259 रकबा 1.9200, खसरा नंबर 259/1 रकबा 0.9300 हैक्टर, खसरा नंबर 259/2 रकबा 0.9300 हैक्टर तक दिलाये जाने तथा रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते जवाब तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या एक व तीन की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 259/3, 259, 259/1, 259/2 सरहद मौजा भाणिया तहसील सोजत की जोत में नया मार्ग अप्रार्थीगण की संयुक्त खोदारी की कृषि जोत की भूमि खसरा नंबर 258 से नये रास्ते की मांग की है। राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा 251(क) की उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया है, जो आवेदन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को हैरान परेशान करने की नियत से व खर्चे से जैरबार करने की नियत रखते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आवेदक का नाम व पता जो प्रार्थना पत्र में शीर्षक में दर्ज है, जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी ने जोत की विशिष्टयां जिसके लिए आवेदन किया है, सरहद मौजा भाणिया में स्थित है। प्रार्थीगण ने कृषि जोत की भूमि के खसरा नंबर 259/3, 259, 259/1, 259/2 बताये है जो प्रार्थीगण स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 258 से नये जोत से रास्ते की मांग की है, जबकि खसरा नंबर 258 अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थीगण ने कई पर भी कितने मीटर रास्ता चौड़ा व कितना लम्बा चाहिए, इसके बारे में अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया है। मात्र प्रार्थीगण 20 फीट चौड़ा रास्ते की मांग कर रहे है। यह लिखना गलत है कि खसरा नंबर 258 रकबा 3.700 हैक्टर में पिछले 50–60 वर्षो से अधिक समय से दक्षिणी दिशा की तरफ ग्राम लाणेरा से भाणिया जाने वाली मुख्य सड़क से माठ के सहारे सहारे 20 फुट रास्ता कदीम से चला आ रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि खसरा नंबर 258 की पूर्वी दक्षिणी माठ के उपर कोई किसी प्रकार का रास्ता नहीं है तथा खसरा नंबर 258 की कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी कब्जासुदा कृषि भूमि है, जिसका उपयोग एवं उपभोग अप्रार्थी संख्या 1 से 3 करते है। खसरा नंबर 258 की कृषि भूमि के मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने मूंग व बाजरा की फसल बोई हुई है, जो वर्तमान में बाजरे की फसल करीब 04 फुट ऊंची आई हुई है तथा मूंग की फसल करीब दो–ढाई फुट ऊंची आई हुई है। मूंग व बाजरे की फसल पक्ककर धान योग्य होने पर है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा बिल्कुल ही गलत व झूठा पेश किया है, मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नही है। प्रार्थीगण के पास खसरा नंबर 259 में जाने के लिए विश्नोईया की ढाणी से राजोला कलां जाने वाली सड़क से होकर कृषि भूमि मे आते जाते थे। प्रार्थीगण के पास खसरा नंबर 259/3, 259, 259/1, 259/2 में जाने के लिए विश्नोईया की ढाणी से राजौला कलां जाने वाली सड़क से होकर कृषि भूमि में आते जाते थे। उस सड़क से होकर प्रार्थीगण आज भी कृषि भूमि में आते जाते थे, उस सड़क से होकर प्रार्थीगण आज भी कृषि भूमि में आ जा सकते है। प्रार्थीगण के पास खसरा नंबर 259/3, 259, 259/1, 259/2 में जाने

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

के लिए विश्नोईयो की ढाणी से राजोला कलां जाने वाली सड़क से होकर रास्ता उपलब्ध है। उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने लायक नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र पृथक–पृथक पेश कर अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का गलत झूँठा व चलने लायक नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। दिनांक 11.09.2018 को अधिवक्ता श्री विनोद वैष्णव ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से वकालतनामा पेश करने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या०। की ओर से दिनांक 05.11.2018 को तथा दिनांक 06.02.2019 को अप्रार्थी संख्या०3 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किए, सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 को वकालतनामा पेश करने के पश्चात् दिनांक 11.09.2018 से लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाव पेश करने में विफल रहने से दिनांक 12.06.2019 को जबाब बन्द किया गया। तहसीलदार, सोजत से पत्रांक/कोर्ट/2019/397–98 दिनांक 14.06.2019 के द्वारा मौका रिपोर्ट तीनों बिन्दुओं तथा डी0एल0सी0 दर की सूचना चाही गई। तहसीलदार सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2019/2444 दिनांक 08.07.2019 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण मौजा भाणिया के ख0न0 259/3, 259, 259/1, 259/2 में पूर्व की तरफ ख0न0 258 है। जिसमें से उपरोक्त खसरों से सम्बन्धित प्रार्थीगणों द्वारा धारा 251(क) के तहत ख0न0 258 दक्षिण की तरफ रास्ता चाहा गया है, जिसकी जांच रिपोर्टानुसार ख0न0 258 के पूर्व की तरफ डामर सड़क है। सड़क से ख0न0 259/3, 259, 259/1, 259/2 में आने जाने हेतु 258 के दक्षिण में रास्ते की मांग की गई। किन्तु मौके पर वर्तमान में रास्ते के चिन्ह मौजूद नहीं है। ख0न0 258 का उत्तरी सीमा पर सड़क से ख0न0 259 की दूरी दक्षिण सीमा की अपेक्षा कम है। मौके पर प्रार्थी हरदानराम व बाबूलाल द्वारा बताया गया कि पहले रास्ता ख0न0 258 के दक्षिणी किनारे की तरफ था लेकिन वर्तमान में ख0न0 258 के काश्तकार द्वारा रास्ता रोकने से हमारे ख0न0 259/3, 259, 259/1, 259/2 पड़त पड़े रहे, प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस, फर्द मौका दिनांक 02.07.2019 सामिल मिसल है। अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र बाबत् पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति मय फहरिश्त एवं गूगल नक्शा पेश कर निवेदन किया कि विवादित रास्ते से सम्बद्ध मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा बनाते समय अप्रार्थीगण को सूचना नहीं दी। वैकल्पिक रास्ता 259 में जाने के लिए विश्नोईयों की ढाणी से राजौला कलां जाने वाली सड़क से आते जाते थे तथा अन्य रास्ता ख0न0 257 में से होकर भी जाता है, जिससे प्रार्थीगण कृषि भूमि में आते जाते रहे है अर्थात् वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। उक्त रास्ते का उल्लेख मौका रिपोर्ट में नहीं है। मौका देखे बिना प्रार्थीगण के कहने से मौका रिपोर्ट बनाई है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट मौका डी पार्ट में रख पुनः उभयपक्षों के रूबरू वैकल्पिक रास्ता के सम्बद्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाने की ईश्तदुआ की है। फलतः उभयपक्षों को सुनकर पुनः मौका रिपोर्ट अर्थात् तहसीलदार, सोजत को पुनः पत्रांक/कोर्ट/2019/626 दिनांक 27.08.2019 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का रास्ता मौके पर है ~~अन्यथा~~ नहीं, आवागमन रास्ते की निकटतम दूरी, वैकल्पिक रास्ते की बरूवे मौका रूबरू उभयपक्ष मौका रिपोर्ट बाद जांच प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार, सोजत द्वारा पुनः पत्रांक/राजस्व/2019/2843 दिनांक 05.09.2019 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (फर्द

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

मौका दिनांक 03.09.2019) नजरी नक्शानुसार "प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर मौजूद थे प्रार्थीगण द्वारा ख0न0 259/3, 259, 259/1, 259/2 में जाने हेतु रास्ते की मांग हुई है। जिसमें जाने के लिए कोई राजस्व रेकर्ड रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण ख0न0 257 में से बने रास्ते से आते जाते है लेकिन मौके पर 259 में जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं हैं राजस्व नक्शे के अनुसार ख0न0 259 में आने जाने के सबसे कम दूरी का वैकल्पिक रास्ता ख0न0 258 की उत्तरी सीमा के नजदीक है। मौका फर्द मौतबिरानों को पढकर सुनायी गयी व हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशानी ली गई। अप्रार्थी मौके पर उपस्थित था। लेकिन अप्रार्थीगण हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।" प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अधिवक्ता प्रति0 संख्या 1 से 3 ने पुनः प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर भी आपत्ति व्यक्त करते हुए वैकल्पिक रास्ता निकटतम उपलब्धता मौके पर होने से सम्बद्ध साक्ष्य सबूत पेश करना चाहने पर समय दिया गया। पर्याप्त अवसरों के बावजूद भी आज अधिवक्ता प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को बार बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से तथा वैकल्पिक निकटतम रास्ता उपलब्धता से सम्बद्ध साक्ष्य सबूत के दस्तावेजात पेश करने में विफल रहे है। भू0अ0 निरीक्षक चौपड़ा एवं सोजत से प्रार्थित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु ख0न0 258 के उत्तरी माठ पर निकटतम देय रास्ते की भूमि (20 फुट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता) का नाप चौप कर क्षैत्रफल के विवरण प्रस्तुत किया अनुसार "ख0न0 258 में से उत्तरी मांठ के सहारे–सहारे 20 फुट चौड़ा रास्ते का कुल रकबा 40 मीटर लम्बाई × 6 मीटर चौड़ाई = 240 वर्गमीटर अर्थात् 2.40 एयर रकबा बनता है, दिया जाना प्रस्तावित है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात जबाब प्रा0 पत्र अप्रार्थीगण मौका रिपोर्ट तहसीलदार, सोजत पत्रांक/राजस्व/2019/2843 दिनांक 05.09.2019 फर्द मौका दिनांक 03.09.2019, भू–अभिलेख चौपड़ा/सोजत द्वारा भूमि रास्ता हेतु जाने वाली का विवरण तथा पूर्व पत्रांक/राजस्व/2019/2444 दिनांक 08.05.2019 में प्रस्तुत रिपोर्टानुसार प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 1386/– रूपये प्रति एयर है का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

बहस वकुलाय मौका रिपोर्ट दिनांक 03.09.2019 तथा प्रा0 धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रा0 पत्र हस्ब प्रा0 पत्र व उक्त मौका रिपोर्ट वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाने से हस्तगत प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो चुकी है तथा मौका रिपोर्ट में वर्णित ख0न0 258 के उत्तरी माठ पर निकटतम देय रास्ते की भूमि (20 फुट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता) का नाप चौप कर क्षैत्रफल के विवरण प्रस्तुत किया अनुसार "ख0न0 258 में से उत्तरी मांठ के सहारे–सहारे (20 फुट चौड़ा रास्ते का कुल रकबा 40 मीटर लम्बाई × 6 मीटर चौड़ाई = 240 वर्गमीटर अर्थात् 2.40 एयर रकबा) बनता है, रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। लिहाजा प्रा0 पत्र धारा 251 ए स्वीकार कर उक्तानुसार रास्ते भूमि प्रतिकर राशि नियमान्तर्गत भुगतान की जाकर रास्ता प्रयोजनार्थ हेतु उपलब्ध करवाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 से 3 को बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी बहस के दौरान अनुपस्थित रहे है। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह ज्ञात के केवल सुविधाजनक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होता है, अर्थात् निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 258 में से होकर दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूपः प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 259, 259/1, 259/2, 259/3 में आवागमन हेतु ख0न0 258 रकबा 3.7000 हैक्टर बा0अ0 भूमि की उत्तरी मांठ के सहारे–सहारे (20 फुट चौड़ा रास्ते का रकबा 40 मीटर लम्बाई × 6 मीटर चौड़ाई = 240 वर्गमीटर अर्थात् 2.40 एयर की भूमि प्रतिकर राशि 1386/– रूपये) प्रति एयर की दर से दौगुणा (1386 × 2 × 2.40 एयर = 6653/– रूपये) अक्षरे छः हजार छः सौ तिरेपन रूपये की राशि जरिए डी0डी0 अप्रार्थीगण को उनके राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करके उक्तानुसार रास्ते की भूमि उपलब्ध करवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की सरहद मौजा भाणिया प0 हल्का राजोला कलां की कृषि भूमि ख0न0 259, 259/1, 259/2, 259/3 में आवागमन हेतु ख0न0 258 रकबा 3.7000 हैक्टर बा0अ0 भूमि की उत्तरी मांठ के सहारे–सहारे (20 फुट चौड़ा रास्ते का कुल रकबा 40 मी0 लम्बाई × 6 मी0 चौड़ाई = 240 वर्गमीटर अर्थात् 2.40 एयर रकबा की भूमि प्रतिकर राशि 1386/– रूपये) प्रति एयर की दर से दौगुणा (1386 × 2 × 2.40 एयर = 6653/– रूपये) अक्षरे छः हजार छः सौ तिरेपन रूपये की राशि का भुगतान जरिए डी0डी0 अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को उनके राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार करवाया जाकर उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में तदानुसार अमल दरामद/वर्तमान राजस्व नक्शा (लट्ठा ट्रेस) मे तरमीम रास्ता किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग की रहेगी। तहसीलदार सोजत को उक्त आदेश की प्रमाणित छायाप्रति मय मौका रिपोर्टादि भिजवाई जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner